all of whom are not necessary unemployed, on the Live Register of the Employment Exchanges has shown a marginal increase during the last three years.

(b) The State-wise increase in number of employment exchanges between December 1994 and December 1997 which are the latest available are given in the statement (*see below*)

Statement

State-wise increase in Number of Employment Exchanges/University Employment Information & Guidance Bureaux during Dec., 1994 and Dec., 1997

State/Union Territory	Increase (in Numbers)
1	2
Andhra Pradesh	-4
Arunachal Pradesh	7
Assam	0
Bihar	0
Goa	0
Gujarat	-3
Haryana	4
Himachal Pradesh	0
Jammu & Kashmir	0
Karnataka	3
Kerala	20
Madhya Pradesh	1
Maharashtra	0
Manipur	0
Meghalaya	0
Mizoram	0
Nagaland	0
Orissa	2
Punjab	0
Rajasthan	7
Sikkim	*
Tamilnadu	1
Tripura	0
Uttar Pradesh	4
West Bengal	0
A & N Islands	0
Chandigarh	0
Dadra & N. Haveli	0
Daman & Diu	1
Delhi	0
Lakshadweep	0
Pondicherry	0
ALL INDIA	43

Note : (*) No exchange is functioning in the state.

देश में बाल श्रमिक

4356. **श्री अखिलेश दास:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे उद्योग कौन-कौन से हैं जिनमें विशेष रूप से बाल श्रमिक कार्यरत है;

(ख) क्या उन्हें अनेक वेतनमान एवं विहित अधिकार प्राप्त है, और

(ग) सरकार ने बाल श्रम को कम करने या इसे समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ सत्यनारायण जटिया): (क) 1991 की जनगणना मुख्य औद्योगिक श्रेणियों में बच्चों के नियोजन के बारे में सूचना प्रदान करती है। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, 80 प्रतिशत से अधिक कामकाजी बच्चे कृषि और संबंधित रोजगारों जैसे जोतना, कृषि श्रमिक, पशुधन, विनिकी, मत्स्य पालन और खनन आदि में कार्यरत है।

(ख) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। अन्य व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन की दशाओं को अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। अधिनियम में वेतनमानों और निर्धारित अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। बाल श्रम से संबंधित श्रम कानूनों के प्रवर्तन के अलावा जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने और पुनर्वासित करने के लिए सरकार ने उपाए किये हैं। जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास के लिए अगस्त, 1994 में एक प्रमुख कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख बच्चों के पुनर्वास के लिए अब तक 76 बाल श्रम परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया था। न्यायालय ने अपने 10.12.96 के निर्णय में जोखिमकारी व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजकों द्वारा मुआवजे का भुगतान करने सहित अनेक निर्देश दिये हैं। इन निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक अनेक कदम उठायें हैं।

लम्बित श्रम विवाद मामले

4357. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में इस समय श्रम विवाद संबंधी कुल

कितने मामले जिला-वार श्रम न्यायालयों और उच्च न्यायालय में लम्बित/विचाराधीन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गत एक दशक के दौरान लम्बित मामलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है;

(ग) क्या राज्यों में लम्बित मामलों की तुलना में पीठासीन न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने और लम्बित मामलों के शीघ्रातिशीघ्र निपटान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) 31.12.1997 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में श्रम न्यायालयों के समक्ष जिले वार लम्बित मामलों की संख्या-

क्र.सं.	जिले का नाम	लम्बित मामलों की संख्या
1.	अहमदाबाद	32095
2.	गांधीनगर	113
3.	खेडा	5867
4.	साबरकांठा	1580
5.	बांसकांठा	2282
6.	मेहसाना	5865
7.	राजकोट	9095
8.	भावनगर	5874
9.	सुरेन्द्रनगर	4645
10.	अमरेली	1250
11.	जूनागढ़	4824
12.	जामनगर	6893
13.	कच्छ	1991
14.	वडोदरा	11128
15.	पंचमहल	3893
16.	भड़ौच	5374
17.	सूरत	12575
18.	डांग	-
19.	वलसाड	6507
	कुल	121851

1988 और 1997 के मध्य मामलों के लम्बन में वृद्धि हुई है। गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रदान को गई सूचना के अनुसार वहां पीठासीन अधिकारियों के 41 पद हैं जिनमें से 13 पद रिक्त हैं। गुजरात राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए उन्होंने त्वरित उपाय किये हैं। सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 16 नये श्रम न्यायालयों की मंजूरी प्रदान की गई है। नवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1997-98 के लिए अमरेली में एक श्रम न्यायालय को मंजूरी प्रदान की गई थी।

ESIC Hospitals for workers

4358. SHRI C. RAMACHANDRIAH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that adequate number of ESIC hospitals are not there for the workers, benefit;

(b) if so, what steps are proposed in this financial year to open more hospitals; and

(c) details of such steps for the welfare of workers?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) At present, there are 127 ESI Hospitals and 43 Annexes functioning under the ESI Scheme in different parts of the country. Recently, the Corporation has constructed three more ESI Hospitals and handed over to the concerned State Governments for commissioning. In addition, there are 15 ESI Hospitals at various stages of construction. New hospitals under the ESI Scheme are constructed generally on the basis of need keeping in view the norms prescribed by the ESI Corporation. Accordingly, the Corporation has agreed, in principle, for construction of 12 additional hospitals at different places. Pending construction/completion of new ESI hospitals, necessary arrangement has been made with governmental and non-governmental institutions to provide general, speciality and super-speciality treatment to the ESI beneficiaries.

Per head expenditure on children in special schools under NCLP

4359. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are proposing to raise the per head expenditure on children in Special Schools under NCLP; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) No Sir.

(b) Does not arise.